रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270689
CG-DL-E-05032026-270689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947
No. 149]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

सा.का.नि. 155(अ).— अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन संचार और सिग्नल) (पहला संशोधन) नियम, 2025 का प्रारूप, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 के उपखंड (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 83 (अ) तारीख 29 जनवरी, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 29 जनवरी, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 29 जनवरी, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियम की बाबत जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यज) से खंड (यट) के साथ पठित धारा 47 की उपधारा (1) और उपधारा (2), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन संचार और सिग्नल) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन संचार और सिग्नल्स) (पहला संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन संचार और सिग्नल्स) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 2 में, खंड (च) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार मान पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टन भार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1987 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी;"।

3. उक्त नियमों में, नियम 16 के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "अध्याय

5- निर्बंधित दृश्यता वाले अंतर्देशीय जलयानों का संचालन"

4. उक्त नियमों में, नियम 17 के पश्चात, अध्याय शीर्षक "अध्याय 5- निर्बंधित दृश्यता वाले अंतर्देशीय जलयानों के संबंध में" के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा है, अर्थात्: -

"अध्याय 6 - रोशनी और आकार"।

5. उक्त नियमों में, नियम 18 में, -

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा: अर्थात्: - " रोशनी और आकार की सामान्य अपेक्षाएँ";

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(4) नियम 23 के उप-नियम (1) के खंड (क) और (ख) और उप-नियम (2) के उपबंध रोशनी और आकार का अनुपालन करेंगे।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 18 के पश्चात, अध्याय शीर्षक "अध्याय 6 - रोशनी और आकार" का लोप कर दिया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, नियम 23 में, उप-नियम (1) में, -

(क) खंड (क) में, " दो आल राउंड लाल रोशनी" शब्दों के पश्चात, "एक मीटर एक दूसरे के ऊपर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएँगे;

(ख) खंड (ख) में, "ऊर्ध्वाधर रेखा में दो बाल या समान आकार" शब्दों के पश्चात, "एक मीटर एक दूसरे के ऊपर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएगा।

8. उक्त नियमों में, नियम 26 में, उप-नियम (2) में, "20" अंक, के स्थान पर "पचास" शब्द रखा जाएगा ।

9. उक्त नियमों में नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"33. रेडियो और नौचालन उपकरण- (1) जोन 1 और जोन 2 में चलने वाले जलयानों में न्यूनतम निम्नलिखित उपकरण होने चाहिए, अर्थात्: -

(क) चुंबकीय कम्पास (हस्तधारित या पोर्टेबल प्रकार या इलेक्ट्रॉनिक प्रकार);

(ख) अत्यंत उच्च आवृत्ति रेडियो;

(ग़) डिस्प्ले सहित वर्ग ख स्वचालित पहचान प्रणाली;

(घ) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेविगेटर;

(ङ) दूरबीन;

(च) एल्डिस लैंप या सर्च लाइट; और

(छ) रडर एंगल इंडिकेटर।

(2) जोन 3 में चलने वाले जलयानों में निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, अर्थात्: -

(क) अत्यंत उच्च आवृत्ति रेडियो या अति उच्च आवृत्ति रेडियो;

(ख) डिस्प्ले सहित वर्ग ख स्वचालित पहचान प्रणाली:

(ग) चुंबकीय कम्पास (हस्तधारित या पोर्टेबल प्रकार या इलेक्ट्रॉनिक प्रकार);

(घ) दूरबीन; और

(ङ) एल्डिस लैंप या सर्च लाइट"।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-IWT(6)]

डॉ. कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

टिप्पण :- अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन संचार और सिग्नल्स) नियम, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 7 जून, 2022 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 424 (अ), तारीख 7 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2026

G.S.R. 155(E).— Whereas a draft of the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication & Signal) (First Amendment) Rules, 2025 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) vide notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 83 (E), dated the 29th January, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 29th January, 2025, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 29th January, 2025;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 47 read with clauses (zj) and (zk) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signals) Rules, 2022, namely: –

1. (1) These rules may be called the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication & Signals) (First Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signals) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (f), and the entries relating thereto, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

"*Explanation.* – For the purpose of this clause, gross tonnage of vessels measuring twenty four meters and above shall be calculated according to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, whereas gross tonnage of vessels with less than twenty four meters shall be calculated according to rule 3 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987.".

3. In the said rules, after rule 16, the following Chapter heading shall be inserted, namely: -

"CHAPTER V- CONDUCT OF INLAND VESSELS OF RESTRICTED VISIBILITY".

4. In the said rules, after rule 17, for the Chapter heading "CHAPTER V- CONDUCT OF INLAND VESSELS OF RESTRICTED VISIBILITY", the following Chapter heading shall be substituted, namely: –

"CHAPTER VI - LIGHTS AND SHAPES".

5. In the said rules, in rule 18, –

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:- "General requirements of lights and shapes" ;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(4) The lights and shapes shall comply with the provisions of clauses (a) and (b) of sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 23.".

6. In the said rules, after rule 18, the chapter heading "CHAPTER VI – LIGHTS AND SHAPES" shall be omitted.

7. In the said rules, in rule 23, in sub-rule (1), –

(a) in clause (a), after the words "two all round red lights," the words "about one metre one above another" shall be inserted;

(b) in clause (b), after the words "two balls or similar shapes in a vertical line", the words "about one metre one above the other" shall be inserted.

8. In the said rules, in rule 26, in sub-rule (2), for the figures "20", the words " fifty" shall be substituted.

9. In the said rules, for rule 33, the following rule shall be substituted, namely: –

"33. Radio and navigation equipment. – (1) The vessels operating in zone 1 and zone 2 shall be provided with the following equipment as a minimum, namely: –

(a) magnetic compass (hand held or portable type or electronic type);
(b) very high frequency radio;
(c) class B automatic identification system with display;
(d) global positioning system navigator;
(e) binocular;
(f) aldis lamp or search light; and
(g) rudder angle indicator.

(2) The vessels operating in zone 3 shall be provided with the following equipment as a minimum, namely: –

(a) very high frequency radio or ultra high frequency radio;
(b) class B automatic identification system with display;
(c) magnetic compass (hand held or portable type or electronic type);
(d) binocular; and
(e) aldis lamp or search light.".

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(6)]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Note: The Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signals) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th June, 2022, vide notification number G.S.R. 424 (E), dated the 7th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA